महेन्द्र कुमार पुत्र कमल कुमार

11/
16/22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी दोनों अनुपस्थित। न्यायालय समय से एक एक कर तीन घण्टा आवाज लगवाई गई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी को तत्वी नोटिस पेश करने हेतु पूर्व आदेशिकाओं के अनुसार पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन तत्वी नोटिस पेश नहीं किये गये। ना ही कोई कारण बताया। न्यायालय वाद को अन्तर्गत आदेश-9 नियम 3 व 5 CPC से खारिज करना उचित समझता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़